केस संख्या 46/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	26/2/19	[illegible] उपस्थापन होने को [illegible] 7/3/19 [illegible]	
	7/3/19	पत्रावली पेश हुई। वादिया स्वयं उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी उपस्थित होकर अपने वकील एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 वास्ते दावा को वापिस लेने हेतु पेश किया जो शामिल फाइल रहे। प्रा० पत्र में अंकित किया कि दोनो पक्षो में लिखित समझौता हो चुका है इसलिये प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है इसी स्टेज पर खिन्न कर वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। वादिया की पहचान उनके वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना ने की। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। दोनो पक्षो में लिखित समझौता होने से प्रस्तुत प्रा० पत्र 023R1 CPC को स्वीकार किया जाता है तथा वाद को खिन्न करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एवं वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद शर्ति दाखिल रजिस्टर हो।

वादिका

R.T. Meena
Learned Adv. for Plaintiff
Defendant Ter.
Appears
7/03/019

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
[illegible]